

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23042024-253822
SG-DL-E-23042024-253822असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2024/वैशाख 2, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 23
No. 27]	DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2024/VAISAKHA 2, 1946	[N. C. T. D. No. 23

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2024

सं. 29/नियम/डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 और भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के साथ, उच्च न्यायालय एवं उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत जिला न्यायालयों के न्यायालय अभिलेख की ई-सत्य प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:

दिल्ली उच्च न्यायालय ई-सत्य प्रतिलिपि नियम, 2024

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता और प्रारम्भ

इन नियमों को "दिल्ली उच्च न्यायालय के ई-सत्य प्रतिलिपि नियम, 2024" कहा जाएगा और ये उच्च न्यायालय एवं उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत जिला न्यायालयों में भी लागू होंगे। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

ई-सत्य प्रतियां प्रदान करने की सुविधा उच्च न्यायालय के नियमों के खंड 5 के भाग ख, अध्याय 5 और खंड 4 के अध्याय 17 के अनुसार सत्यापित प्रतियां प्रदान करने की मौजूदा सुविधा के अतिरिक्त होगी।

2. प्रस्तावना

ये नियम उपलब्ध डिजिटलीकृत अभिलेख से उत्पन्न ई-सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए किए गए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन/आवेदनों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो:

(क) **कार्यवाही(कार्यवाहियों)** का अर्थ है उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों में शुरू की गई सभी कार्यवाहियाँ जिनमें वाद, आपराधिक शिकायतें, अपील, दीवानी या फौजदारी रिट, पुनरीक्षण, अवमानना, निष्पादन, मध्यस्थता, प्रोबेट मामले और अंतर्वर्ती आवेदन शामिल हैं।

(ख) **आवेदक** का अर्थ है किसी कार्यवाही के लिए एक पक्षकार या एक अधिवक्ता, जो कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी कार्यवाही की ई-सत्य प्रतिलिपि अभिलेख प्राप्त करने का हकदार है।

उच्च न्यायालय के प्रासंगिक नियमों में उल्लिखित अपवादों के अधीन एक अजनबी भी ई-सत्य प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर सकता है।

(ग) **प्राधिकृत अधिकारी** का अर्थ है अधिकारी(गण) जो प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक (ए. ओ. जे.) के पद से नीचे के नहीं हो, जो उच्च न्यायालय में ई-सत्य प्रतिलिपि से जुड़े या उससे संबंधित मामलों को प्रशासित करने और उनसे निपटने के लिए प्राधिकृत है।

जहाँ तक जिला न्यायालयों का संबंध है, इसका अर्थ इस संबंध में संबंधित प्रधान जिला एवम् सत्र न्यायाधीश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से होगा।

(घ) **सम्बन्धित कर्मचारी (डीलिंग)** का अर्थ है प्राधिकृत अधिकारी की देखरेख और नियंत्रण में काम करने वाला कर्मचारी।

(ङ) **जिला न्यायालय (न्यायालयों)** का अर्थ है और इसमें उच्च न्यायालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत स्थापित और कार्य करने वाले न्यायालय/न्यायालयों शामिल हैं।

(च) **डिजिटलीकृत अभिलेख** का अर्थ है डिजिटल रूप में उपलब्ध कार्यवाही (यों) के अभिलेख।

(छ) **इलेक्ट्रॉनिक आवेदन(आवेदनों)** का अर्थ है ई-सत्य प्रतिलिपि के लिए उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के आधिकारिक वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दायर एक आवेदन।

(ज) **ई-सत्य प्रतिलिपि** का अर्थ है उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा डिजिटलीकृत अभिलेख से उत्पन्न निर्धारित विवरणों वाली एक प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक प्रति।

(झ) **उच्च न्यायालय** का अर्थ है दिल्ली का उच्च न्यायालय।

(ञ) **उच्च न्यायालय के नियमों** का अर्थ है उच्च न्यायालय के नियम।

(ट) **प्रभारी अधिकारी** का अर्थ है रजिस्ट्रार के पद का एक अधिकारी जिसे इन नियमों के तहत कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी और सम्बन्धित (डीलिंग) कर्मचारी को नामित करने का अधिकार होगा।

(ठ) **आपत्तियों** का अर्थ और इसमें इलेक्ट्रॉनिक आवेदन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बताई गई कमियां और त्रुटियां शामिल हैं।

(ड) **रजिस्ट्री** का अर्थ है उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री या जिला न्यायालय के अधिकारी, जैसा भी मामला हो।

(ढ) **तकनीकी विफलता** का अर्थ है उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, जैसा भी मामला हो, की हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या दूरसंचार सुविधा की विफलता, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक आवेदन जमा करना असंभव हो जाता है। तकनीकी विफलता में इलेक्ट्रॉनिक आवेदन जमा करने वाले व्यक्ति से संबंधित उपकरण की खराबी शामिल नहीं है।

(ण) **अजनबी** का अर्थ और इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था शामिल है जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है।

(त) कार्य दिवस का अर्थ और इसमें वह दिन भी शामिल है जब रजिस्ट्री उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित या निर्देशित कैलेंडर के अनुसार काम करती है।

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के नियमों में परिभाषित हैं उनका अर्थ वही होगा जो उक्त नियमों में उनके लिए दिया गया है।

4 सामान्य निर्देश

4.1 ई-सत्य प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन केवल उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के आधिकारिक वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा।

4.2 अभिलेखों और प्रदर्शों की ई-सत्य प्रति का हकदार एक पक्षकार, एक निश्चित समय पर, एक कार्यवाही में केवल एक इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

4.3 वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन को उपयोग करने में असमर्थ कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के निर्दिष्ट काउंटरो पर ऐसी ई-सत्य प्रतिलिपि के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

4.4 ऐसी कार्यवाहियों में जहाँ डिजिटलीकृत अभिलेख की ई-सत्य प्रतिलिपि एक भारी डेटा फाइल हो और इसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुविधाजनक रूप से साझा नहीं किया जा सकता हो, तो प्राधिकृत अधिकारी कोई अन्य तरीका चुन सकता है या आवेदक को उचित अवधि के भीतर एक इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण उपकरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित कर सकता है ताकि डिजिटलीकृत अभिलेख की ई-सत्य प्रतिलिपि को साझा किया जा सके।

4.5 ऐसे मामलों में जहाँ डिजिटलीकृत अभिलेख उपलब्ध नहीं है, ई-सत्य प्रतिलिपि के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन को भौतिक प्रमाणित प्रति के रूप में माना जाएगा और सम्बन्धित (डीलिंग) कर्मचारी आवेदक को इसके बारे में सूचित करेगा। आवेदक मौजूदा नियमों के अनुसार वास्तविक प्रमाणित प्रति के लिए शुल्क जमा करेगा और शुल्क जमा करने में विफल होने पर, आवेदक को सूचित करने की तारीख से 10 कार्य दिवसों की समाप्ति पर आवेदन का निपटारा कर दिया जाएगा। यह कुछ भी लागू नहीं होगा, यदि आवेदक दिव्यांग व्यक्ति है या दिल्ली में नहीं रहता है, तो ऐसी कार्यवाहियों के अभिलेखों को डिजिटलीकृत किया जाएगा और ई-सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी।

5. पंजीकरण के चरण

5.1 ई-सत्य प्रतिलिपि के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन दायर करने के लिए, हकदार व्यक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय, 2021 के ई-फाइलिंग नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के आधिकारिक वेब पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे।

5.2 इसी तरह, जिला न्यायालय के लिए पंजीकरण प्रक्रिया उनकी संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है।

6. कार्यवाहियों की ई-सत्य प्रति प्राप्त करने की पात्रता

उच्च न्यायालय के नियम कार्यवाही के अभिलेख की ई-सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए एक आवेदक की पात्रता को निर्धारित करेंगे।

7. आवेदन विधि

ई-सत्य प्रतिलिपि के लिए आवेदन केवल उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने पर एक पावती पर्ची उत्पन्न होगी।

8. संवीक्षा और वितरण

8.1 प्राधिकृत अधिकारी या सम्बन्धित (डीलिंग) कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक आवेदनों की संवीक्षा करेंगे। आपत्तियाँ, यदि कोई हों, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पक्षकार को सूचित किया जाएगा। आपत्तियों के निवारण पर इलेक्ट्रॉनिक आवेदन को आगे संसाधित किया जाएगा। यदि आवेदक आपत्तियों की सूचना की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर आपत्तियों को हटाने में विफल रहता है, तो आवेदन समाप्त हो जाएगा।

8.2 प्राधिकृत अधिकारी ई-सत्य प्रतिलिपि प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है यदि वह एक ऐसे अजनबी द्वारा दायर किया गया हो जिसे वैवाहिक और पारिवारिक विवादों, अवमानना मामलों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित कार्यवाही में प्रति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

8.3 प्राधिकृत अधिकारी आवेदन में किसी भी गलत विवरण के प्रकटीकरण या हस्ताक्षर के मेल न होने सहित किसी अन्य आधार पर भी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

8.4 ई-सत्य प्रतिलिपि की आपूर्ति के लिए आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आवेदक/अजनबी उच्च न्यायालय के मामले में संबंधित प्रतिलिपि शाखा के प्रभारी अधिकारी या जिला न्यायालयों के मामले में संबंधित प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष इसे चुनौती दे सकता है।

8.5 डिजिटलीकृत अभिलेख की उपलब्धता के अधीन, प्राधिकृत अधिकारी या सम्बन्धित (डीलिंग) कर्मचारी चार (04) कार्य दिवसों के भीतर ई-सत्य प्रतिलिपि देने का सर्वोत्तम प्रयास करेगा। सुपुर्दगी में किसी भी देरी के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा।

8.6 यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक आवेदन उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार नहीं है तो उसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

9. पर्यवेक्षण

संबन्धित प्रतिलिपि शाखा का प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा के आंतरिक संगठन का प्रभारी होगा और इलेक्ट्रॉनिक आवेदनों की कुशल निगरानी, उनकी जांच, सुपुर्दगी और अन्य संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।

10. ई-सत्य प्रतिलिपि पर दर्ज किया जाने वाला विवरण

(1) पक्षकार/आवेदक का विवरण	
(2) इलेक्ट्रॉनिक आवेदन की सन्दर्भ संख्या	
(3) इलेक्ट्रॉनिक आवेदन का दिन, दिनांक और समय	
(4) ई-सत्य प्रतिलिपि तैयार करने की दिनांक	
(5) ई-सत्य प्रतिलिपि की प्रदान करने की दिनांक	
(6) सम्बन्धित (डीलिंग) कर्मचारी के हस्ताक्षर	
(7) प्राधिकृत अधिकारी का नाम	

11. ई-सत्य प्रतिलिपि का प्रमाणीकरण

ई-सत्य प्रतिलिपि को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाएगा।

12. शुल्क

कार्यवाही के अभिलेख की ई-सत्य प्रतिलिपियों की आपूर्ति के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

13. परिसीमा

13.1 ई-सत्य प्रतिलिपि के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन करने की तारीख की गणना करने के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित कैलेंडर लागू होगा।

13.2 ई-सत्य प्रतिलिपि के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन किए जाने के समय की गणना करने के लिए, भारतीय मानक समय (आई. एस. टी.) लागू होगा।

13.3 किसी भी दिन 1600 घंटे के बाद दायर ई-सत्य प्रतिलिपि के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक आवेदन को वास्तविक दायर करने की तारीख के बाद की तारीख को दायर किया गया माना जाएगा, बशर्ते कि यह न्यायालय का कार्य दिवस हो। राजपत्रित अवकाश घोषित किए गए दिन या जब उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, बंद हो, तो दायर किए गए आवेदनों को अगले कार्य दिवस पर दायर किया गया माना जाएगा। परिसीमा की गणना के लिए, ई-सत्य प्रतिलिपि के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक आवेदन उसी कानूनी व्यवस्था के अध्यक्षीन होगा जो वास्तविक रूप से दायर आवेदन पर लागू होगी, सिवाय इसके जो यहाँ प्रदान किया गया है।

13.4 वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन पर इलेक्ट्रॉनिक आवेदन दाखिल करने की सुविधा चौबीसों घंटे उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते अवरोध, सर्वर डाउनटाइम, सिस्टम रखरखाव या अन्य अप्रत्याशित संकट हो। जहाँ ऊपर बताया गए किसी भी कारण से इलेक्ट्रॉनिक आवेदन ऑनलाइन दाखिल करना संभव नहीं हो, तो आवेदक को न्यायालय के कार्य दिवसों में 1000 घंटे से 1500 घंटे के बीच आवेदन वास्तविक रूप से दाखिल करने के लिए निर्दिष्ट काउंटरों से संपर्क करना चाहिए। वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा की विफलता के आधार पर परिसीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

14. ई-फाइल किए गए आवेदनों का संग्रहण और पुनर्प्राप्ति

ई-सत्य प्रतिलिपि के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदनों को रजिस्ट्री/संबंधित प्रधान जिला एवम् सत्र न्यायाधीश द्वारा तय की गई अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाएगा।

15. ई-सत्य प्रतिलिपि की कानूनी मान्यता

एक प्रमाणित ई-सत्य प्रतिलिपि को डिजिटल अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि माना जाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत प्रदान की गई कानूनी मान्यता होगी। ई-सत्य प्रतिलिपि को सार्वजनिक दस्तावेजों या सार्वजनिक दस्तावेजों के कुछ हिस्सों की सामग्री के प्रमाण में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनकी वे प्रतियां होने का दावा करती हैं।

16. लोक अधिकारी द्वारा अपेक्षित अभिलेख की प्रतिलिपि

उच्च न्यायालय के नियम कार्यवाही की ई-सत्य प्रतिलिपि अभिलेख प्राप्त करने के लिए लोक अधिकारी की पात्रता को निर्धारित करेंगे।

17. गोपनीयता

आवेदक किसी भी अनधिकृत उद्देश्य के लिए अभिलेख की ई-सत्य प्रतिलिपि का उपयोग नहीं करेगा। यदि ई-सत्य प्रतिलिपि अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा की जाती है जो ई-सत्य प्रतिलिपि तक पहुँचने या निरीक्षण करने का हकदार नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति तुरंत प्राधिकृत अधिकारी को इसके बारे में सूचित करेगा और किसी भी उद्देश्य के लिए उक्त ई-सत्य प्रतिलिपि का उपयोग और साझा नहीं करेगा।

18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन नियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास ऐसी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी और इस संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

19. नियम किसी अन्य कानून के अल्पीकरण में नहीं हैं

इन नियमों के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनके अल्पीकरण में नहीं हैं। जिन पहलुओं पर वर्तमान नियम मौन हो, उन पर उच्च न्यायालय के नियमों के खंड 5 के भाग ख, अध्याय 5, और खंड 4 के अध्याय 17 के प्रावधान लागू होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार
कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd April, 2024

No. 29/Rules/DHC.—In the exercise of powers conferred under Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (act 26 of 1966) and Article 227 of the Constitution of India, the High Court, with the previous approval of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, makes the following rules for providing e-True Copy of court records of the High Court as well as the District Courts under its control and supervision:

e-True Copy Rules of the High Court of Delhi, 2024**1. Short Title, Applicability and Commencement**

These Rules shall be called “e-True Copy Rules of the High Court of Delhi, 2024” and shall apply to the High Court as well as the District Courts under its control and supervision. These Rules shall come into force on the date of notification in the official Gazette.

The facility of providing e-True Copies shall be in addition to the existing facility of providing attested copies as per Chapter 5, Part B of Volume V, and Chapter 17 of Volume IV of the Rules of the High Court.

2. Preface

These Rules will apply to electronic application(s) made for obtaining an e-True Copy generated from the available Digitized record.

3. Definitions

(1) In these Rules, unless the context otherwise requires:

- a) **Action(s)** means all proceedings instituted in the High Court, District Courts including suits, criminal complaints, appeals, civil or criminal writ, revision, contempt, execution, arbitration, probate cases and interlocutory applications.
- b) **Applicant** means a party to an action or an advocate entitled, at any stage of the action, to obtain an e-True Copy record of an action.
A stranger may also apply for an e-True Copy subject to exceptions as mentioned in the relevant Rules of the High Court.
- c) **Authorized officer** means the officer(s) not below the rank of Administrative officer Judicial (AOJ), authorized to administer and deal with matters connected with or related to e-True Copy in the High Court.
In so far as the District Courts are concerned, it would mean the official(s) authorized by the concerned Principal District & Sessions Judge in this regard.
- d) **Dealing official** means an official working under the supervision and control of the Authorized officer.
- e) **District Court(s)** means and includes court(s) established and functioning under the control and supervision of the High Court.
- f) **Digitized record** means the record of action (s) available in digital form.
- g) **Electronic application(s)** means an application for e-True Copy filed through the electronic mode on the official web portal or the mobile application of the High Court, District Court, as the case may be.
- h) **E-True Copy** means an authenticated electronic copy generated from the Digitized record containing particulars as prescribed by the High Court Rules.
- i) **High Court** means High Court of Delhi.
- j) **High Court Rules** means the Rules of the High Court.
- k) **Officer in Charge** means an officer of the rank of Registrar who shall be empowered to nominate the Authorized officer and Dealing official to discharge duties and functions under these Rules.
- l) **Objections** means and include deficiencies and errors pointed out by the Authorized officer in the Electronic application.
- m) **Registry** means the Registry of the High Court or officials of the District Court, as the case may be.
- n) **Technical Failure** means a failure of the hardware, software or telecommunications facility of the High Court, District Court as the case may be, which results in the impossibility of submitting an Electronic application. Technical failure does not include equipment malfunction concerning the person submitting an Electronic application.
- o) **Stranger** means and includes any person or entity who is not a party to the action.
- p) **Working Day** means and includes a day when the Registry works as per the calendar published or as directed by the High Court.

(2) The words and expressions used herein and not defined hereinabove, but defined in Rules of the High Court, shall have the meaning assigned to them in the said Rules.

4. General Instructions

4.1 Electronic application for grant of e-True Copy shall be made only through the official web portal or mobile application of the High Court, District Court, as the case may be.

4.2 At a given time, a party entitled to e-True Copy of records and exhibits can move only one Electronic application in an action.

4.3 Anyone unable to access the web portal or mobile application may submit an application for such e-True Copy at the designated counters of the High Court, District Court for that purpose, as the case may be.

4.4 In actions where the e-True Copy of the Digitized record is a heavy data file and cannot be conveniently shared through the electronic mode, the Authorized officer may choose any other mode or may inform the applicant to furnish an electronic storage device within a reasonable period to enable sharing of the e-True Copy of the Digitized record.

4.5 In cases where the Digitized record is not available the electronic application for e-True copy shall be treated as the one for physical certified copy and the dealing official shall inform the applicant about the same. The applicant shall deposit the fee for physical certified copy as per extant rules and on failure to deposit the fee, the application shall stand disposed of on expiry of 10 working days from the date of intimation to the applicant. Nothing herein shall apply, in case the applicant is a person with disability or not residing in Delhi, the record of such Actions shall be digitized and e-True copy shall be made available.

5. Steps for Registration

5.1 To file an Electronic application for e-True Copy, the persons entitled shall register on the official web portal of the High Court as per the procedure prescribed in the e-Filing Rules of the High Court of Delhi, 2021.

5.2 Likewise, the registration process for the District Court may be carried out as per the procedure published on their respective websites.

6. Entitlement to e-True Copy of the Actions.

High Court Rules shall govern an applicant's entitlement to seek e-True copy of the record of Actions. .

7. Mode of Application

An application for e-True Copy can be made only through the web portal or mobile application of the High Court, District Court as the case may be. An acknowledgement slip will be generated upon successful submission of the Electronic application.

8. Scrutiny and Delivery

8.1 The Authorized officer or dealing official shall scrutinize the Electronic applications. Objections, if any, shall be communicated to the Party through the electronic mode. On removal of the Objections the Electronic application shall be processed further. If the applicant fails to remove the objections within 10 working days from the date of communication of objections, the application shall lapse.

8.2 The authorised officer may reject an application for supply of e -True copy if the same is applied by a stranger who has no right to obtain a copy in an Action pertaining to matrimonial and family disputes, contempt matters and sexual offences against women and children.

8.3 The authorised officer may also reject the application on any other ground including disclosure of any incorrect details in the application or mismatch of signature.

8.4 In case of rejection of the application for supply of e -True copy the applicant/stranger may challenge the same before the Officer in Charge of the concerned copying branch in case of High Court or to the Principal District & Sessions Judge concerned in case of District Courts or any authorized officer authorized by him.

8.5 Subject to the availability of the Digitized record, the Authorized officer or Dealing official shall make best endeavours to deliver the e-True Copy within four (04) working days. In case of any delay in delivery, the Authorized officer shall inform the applicant electronically.

8.6 No Electronic application shall be allowed if it is not as per the Rules of the High Court.

9. Supervision

The officer in Charge of the concerned copying branch shall be in Charge of the internal organization of the copying branch and shall be responsible for the efficient monitoring of Electronic applications, their scrutiny, delivery, and other related matters.

10. Particulars to be endorsed on an e-True Copy

(1) Party/Applicant Details	
(2) Electronic Application Reference Number	
(3) Day, Date and Time of electronic application	
(4) Date of Preparation of e-True Copy	
(5) Date of electronic delivery of e-True Copy	
(6) Name of Dealing official	
(7) Name of Authorized officer	

11. Authentication of e-True Copy

e-True copy shall be authenticated in the manner prescribed by the Information Technology Act 2000.

12. Fee

No fee shall be levied for supply of e -True copies of record of Actions.

13. Limitation

13.1 To compute the date on which an Electronic application for e-True Copy is made, the calendar notified by the High Court shall apply.

13.2 To compute the time at which an Electronic application for e-True Copy is made, the Indian Standard Time (IST) shall apply.

13.3 An Electronic application for an e-True copy filed after **1600** hours on any day will be treated as filed on the date which follows the actual filing date, provided it is a court working day. Applications filed on a day declared as a gazetted holiday or when the High Court, District Court as the case may be, is closed will be regarded as having been filed on the next working day. For the computation of limitation, an electronic application for e-True Copy shall be subject to the same legal regime applicable to the physical filing, save and except as provided herein.

13.4 The facility for filing an Electronic application on the web portal or mobile application shall be made available round the clock, subject to breakdown, server downtime, system maintenance or other unforeseen exigencies. Where online filing of an Electronic application is not possible for any of the reasons set out above, the applicant shall approach the designated counters for physical filing of application between **1000** hours to **1500** hours on court working days. No exemption from limitation shall be permitted on the ground of failure of the web portal or mobile application facility.

14. Storage and Retrieval of e-filed applications

Electronic applications for an e-True Copy will be stored electronically for a period as may be decided by the Registry/concerned Principal District & Sessions Judge.

15. Legal recognition of e-True copy

An authenticated e-True Copy shall be deemed to be a certified copy of the digitized record and have legal recognition as provided under the Information Technology Act 2000. e-True copy may be produced in proof of the contents of the public documents or parts of the public documents of which they purport to be copies.

16. Copy of the record required by public officers

The High Court Rules shall govern the entitlement of the Public official to receive the e-True Copy record of the Action.

17. Confidentiality

The applicant shall not use e-True Copy of the record for any unauthorized purpose. In the event an e-True Copy is inadvertently shared with a person not entitled to access or inspect the e-True Copy, such person shall immediately inform about the same to the Authorized officer and shall not use and share the said e-True Copy for any purpose.

18. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Rules, the Chief Justice of the High Court shall have the power to remove such difficulty, and the decision taken in that regard shall be final.

19. Rules not in derogation of any other law

The provisions of these Rules shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. The aspects on which present rules are silent, provisions of Chapter 5, part B of Volume V, and Chapter 17 of Volume IV of the Rules of the High Court shall apply.

By Order of the Court
KANWAL JEET ARORA, Registrar General